डिस्कलेमर

आदेश संख्या 01/2024-25 का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।

ऐरा/20019/सीजीएफ-जी/2010-11/खंड- VIII

भारतीय विमानपत्तनआर्थिक विनियामक प्राधिकरण

****

आदेश संख्या 01/ 2024-25

ऐरा कार्यालय,
तृतीय तल, उड़ान भवन,
सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली – 110003

जारी करने की तारीख: 15.06.2024

सेवा	:	**कार्गो हैंडिलिंग सेवाएं (सीएचएस)**
सेवा प्रदाता	:	**मैसर्स ए .आई. एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड**
हवाईअड्डा	:	**चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा**

विषय: मैसर्स ए.आई. एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (ए.आई.ए.एस.एल.) के संबंध में चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडिलिंग सेवाओं के लिए 10.06.2024 से 31.03.2025 तक के लिए तदर्थ टैरिफ निर्धारित करने के मामले में।

सेवा प्रदाता की प्रस्तुति:

1. मैसर्स एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल) नागर विमानन मंत्रालय (मोका), भारत सरकार (जीओआई) के अधीन आने वाली मैसर्स एआई एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड (एआईएएचएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी भारत में एएआई के नियंत्रणाधीन सभी हवाईअड्डों पर यात्री, रैंप और कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए प्राधिकृत ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी (जीएचए) है।

2. मैसर्स एआईएएसएल ने दिनांक 30.04.2024 के पत्र द्वारा यह बताया कि वह भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (कार्गो हैंडलिंग सेवाएं) विनियम, 2018 के अनुसार चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है।

3. मैसर्स एआईएएसएल ने आगे यह भी बताया कि उनकी कंपनी विनिवेश की प्रक्रिया से गुजर रही है और इसके शीघ्र पूरा होने की आशा है। एआईएएसएल की जारी विनिवेश प्रक्रिया को देखते हुए, स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ने प्राधिकरण से अंतरिम उपाय के रूप में चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर उनकी अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ प्रदान करने का अनुरोध किया। मैसर्स एआईएएसएल ने प्राधिकरण से यह भी अनुरोध किया कि चैन्नई हवाईअड्डे पर उनकी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए उन्हें वही टैरिफ वसूल करने की अनुमति दी जाए जो ऐरा द्वारा मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (एएआईसीएलएएस) के लिए उनकी कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए अनुमोदित की गई है।

मैसर्स एआईएएसएल की प्रस्तुति की प्राधिकरण द्वारा जांचः

4 प्राधिकरण नोट करता है कि एआईएएचएल के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सरकारी उपक्रम एआईएएसएल एएआई के नियंत्रणाधीन हवाईअड्डों के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) संशोधन विनियम, 2019 और एएआई (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) संशोधन विनियम, 2023 के साथ पठित भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं) विनियम, 2018 (दिनांक 26 अक्तूबर, 2018 का एफ.सं. एएआई/ओपीएस/707/जीएचआर-2018) के प्रावधानों के अनुसार चैन्नई हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं प्रदान कर रही है।

5 स्वतंत्र सेवा प्रदाता (आईएसपी) ने दिनांक 30.04.2024 के पत्र संख्या एआईएएसएल/2024-25/एचसीए/003 (आरईवी) के माध्यम से ऐरा से अनुरोध किया कि वह अंतरिम उपाय के रूप में चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर मैसर्स एआईएएसएल की कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ की व्यवस्था करे। प्राधिकरण नोट करता है कि मैसर्स एआईएएसएल विनिवेश की प्रक्रिया से गुजर रही है और आईएसपी के अनुसार विनिवेश प्रक्रिया शीघ्र पूरी होने की आशा है। मैसर्स एआईएएसएल के उपर्युक्त प्रस्तुतीकरण को संज्ञान में रखकर प्राधिकरण का यह मत है कि कार्गो सेवा प्रदाता के लिए अंतरिम व्यवस्था के रूप में तदर्थ टैरिफ पर विचार करना उपयुक्त होगा। तत्पश्चात प्राधिकरण एक बार विनिवेश की प्रक्रिया पूर्ण होने और नए प्रबंधक द्वारा कंपनी का कार्य संभालने के बाद एआईएएसएल के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित करने पर विचार करेगा।

6 उपर्युक्त संदर्भ में प्राधिकरण ने मैसर्स एआईएएसएल की प्रारंभिक प्रस्तुति की जांच की है और यह पाया कि आईएसपी ने चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे के लिए तदर्थ टैरिफ के अपने प्रस्ताव में एयर फ्राइट स्टेशन (एएफएस) से संबंधित कार्गो सेवाओं के लिए टैरिफ दरें प्रस्तुत नहीं की हैं। इसके अतिरिक्त यह भी नोट किया कि एआईएएसएल ने एयरलाइन सुविधा प्रभारों को माना है, जो मैसर्स एएआईसीएलएएस (जिसके आधार पर आईएसपी ने तदर्थ टैरिफ की मांग की है) के लिए अनुमोदित टैरिफ दरों का हिस्सा नहीं है। उपर्युक्त के अलावा यह भी देखा गया है कि आईएसपी के प्रस्ताव में अंतरदेशीय इनबाउंड और आउटबाउंड कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में टैरिफ दरें नहीं हैं।

तदनुसार, उपर्युक्त बिंदुओं पर आईएसपी से स्पष्टीकरण मांगा गया

7 मैसर्स एआईएएसएल ने ऐरा की उपर्युक्त टिप्पणियों के जवाब में यह बताया कि उनकी कंपनी वर्तमान में केवल अंतरराष्ट्रीय निर्यात कार्गो से संबंधित सेवाएं ही प्रदान कर रही है। अंतरराष्ट्रीय आयात कार्गो और कूरियर टर्मिनल हैंडलिंग आदि के संबंध में आईएसपी ने सूचित किया कि कार्गो अवसंरचना का और विस्तार करने के लिए एएआईसीएलएएस से अतिरिक्त भूमि आवंटन के लिए अनुरोध किया गया है ताकि आयात कार्गो हैंडलिंग सेवाएं आदि निष्पादित की जा सके।

इसके अतिरिक्ति एआईएएसएल ने दिनांक 16.05.2024 को ई-मेल के माध्यम से ऐरा से अनुरोध किया कि वह तदर्थ टैरिफ के लिए उनके पहले के प्रस्तुतीकरण में प्रस्तावित एयरलाइन सुविधा प्रभारों को ध्यान में रखें और प्राधिकरण से अनुरोध किया कि वह एएआईसीएलएएस, चैन्नई के लिए लागू अनुमोदित टैरिफ के आधार पर उनके चैन्नई कार्गो प्रचालनों के लिए तदर्थ टैरिफ के अनुमोदन पर विचार करें।

8 एआईएएसएल द्वारा दिए गए उपर्युक्त स्पष्टीकरण के आधार पर प्राधिकरण आयात कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ को सक्षम प्रावधान के रूप में अनुमोदित करने का निर्णय लेता है। आयात कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर एआईएएसएल द्वारा अंतरराष्ट्रीय आयात कार्गो हैंडलिंग प्रचालन शुरू करने की तारीख से प्रभावी होगी।

9 प्राधिकरण ने मैसर्स एआईएएसएल द्वारा प्रस्तावित अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए टैरिफ दरों की तुलना एएआईसीएलएएस (चैन्नई) के लिए ऐरा द्वारा अनुमोदित टैरिफ दरों से की जो चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवा प्रदान करने वाला अन्य सेवा प्रदाता है। यह देखा गया है कि आईएसपी द्वारा प्रस्तावित प्रभार (तदर्थ टैरिफ) वही प्रभार हैं, जिन्हें प्राधिकरण द्वारा एएआईसीएलएएस, चैन्नई (वित्त वर्ष 2023-24) के लिए अनुमोदित किया गया है।

10 पूर्वोक्त के मद्देनजर प्राधिकरण आईएसपी के लिए नियमित टैरिफ निर्धारित होने तक अंतरिम उपाय के रूप में चैन्नई हवाईअड्डे पर मैसर्स एएआईसीएलएएस के लिए लागू प्रचलित टैरिफ (31-03-2024 तक) के आधार पर चैन्नई हवाईअड्डे पर उनकी अंतरराष्ट्रीय कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में एआईएएसएल के लिए तदर्थ टैरिफ पर विचार करने का निर्णय लेता है।

<u>आदेश</u>

प्राधिकरण इसके समक्ष रिकॉर्डों में उपलब्ध तात्विक सामग्री पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरांत भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 2008 की धारा 13(1)(ए) द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा आदेश देता है कि:

(i) एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एएआईएएसएल) को चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा**,** चैन्नई के लिए **संलग्नक-I** के अनुसार **10.06.2024 से 31.03.2025 तक** अंतरराष्ट्रीय कार्गो टर्मिनल प्रचालनों (सीटीओ) के लिए तदर्थ आधार पर टैरिफ वसूल और संग्रहित करने की अनुमति दी जाती है।

(ii) आयात कार्गो हैंडलिंग सेवाओं के लिए तदर्थ टैरिफ एआईएएसएल द्वारा अंतरराष्ट्रीय आयात कार्गो हैंडलिंग प्रचालन शुरू करने की तारीख से प्रभावी होगी।

(iii) ऊपर बताए अनुसार अनुमोदित तदर्थ टैरिफ प्रयोक्ताओं से वसूले जाने वाले अधिकतम प्रभार होंगे। अनुमोदित टैरिफ के अतिरिक्त अन्य कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा।

(iv) हवाईअड्डा प्रचालक इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चत करेगा।

(v) हवाईअड्डा प्रचालक मैसर्स एआईएएसएल द्वारा प्रदान की जाने वाली ग्राउंड हैंडलिंग सेवाओं के संबंध में प्राधिकरण द्वारा इसमें अनुमोदित टैरिफ सभी हितधारकों की जानकारी के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

प्राधिकरण की ओर से जारीकर्ता अधिकारी

(सुयश नारायण)
सचिव

सेवामें,

श्री रामबाबू सीएच
मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
मैसर्स एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (एआईएएसएल),
दूसरा तल, जीएसडी बिल्डिंग, एयर इंडिया कॉमप्लेक्स,
टर्मिनल -2, आईजीआई हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110037

प्रतिलिपि सूचनार्थ:

1) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
2) अध्यक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), राजीव गांधी भवन, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003
3) हवाईअड्डा निदेशक, चैन्नई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, एयरपोर्ट रोड, मीनाबक्कम, चैन्नई, तमिलनाडु 600027
4) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, मैसर्स एएआई कार्गो लॉजिस्टक्सि एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड, एएआईसीएलएएस कॉमप्लेक्स, डेल्ही फ्लाईंग क्लब रोड, सफदरजंग हवाईअड्डा, नई दिल्ली-110003